रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239595
CG-DL-E-12102022-239595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4651]	**नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944**
No. 4651]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4861(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है पारदर्शिता, दक्षता और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुदस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसके पश्चात विभाग कहा गया है), **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (दक्ष) स्कीम**, (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त, घुमंतू-जनजातियों और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों वाले लक्षित समूहों के प्रतियोगी स्तरों में सुधार लाना है। इस स्कीम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) (जिसे इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और स्कीम के अधीन स्कीम के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त, घुमंतू-जनजातियों और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों (जिसे इसके पश्चात

फायदा कहा गया है) वाले लक्षित समूहों को वृतिका और कौशल विकास (जिसे इसके पश्चात हिताधिकारियों कहा गया है) प्रदान किया जाता है;

और, स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराएं:

(2) स्कीम के अधीन फायदा लेने की वांछा वाला प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो आधार संख्या नहीं रखता है अथवा जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) से संपर्क कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मंत्रालय हिताधिकारियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से अथवा स्वत: यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परंतु स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात:-

(क) आधार नामांकन पहचान पर्ची के साथ

निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, नामत:

(i) फोटो के साथ बैंक अथवा डाक घर की पासबुक; और

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा

(iii) पासपोर्ट; अथवा

(iv) राशन कार्ड; अथवा

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड; अथवा

(vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; अथवा

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र; अथवा

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेज को इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा नामोदृष्टि किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

2. स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को फायदा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिससे स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षाओं के प्रति हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात:-

(क) खराब फिंगरप्रिंट के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा जिससे निर्बाध रीति से फायदा प्राप्त हो सके;

(ख) फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन अथवा आईरिस अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो,

वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमीट्रिक अथवा आधार वन टाइम पासवर्ड अथवा समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहां स्कीम के अधीन फायदों को भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और रीडर का क्यूआर कोड का आवश्यक प्रबंध अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा;

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई सदभावी हिताधिकारी अपने देय फायदों से वंचित न रहे, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद संचालन क्रियातंत्र विधि का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 14017/2/2021-डीबीटी]

कल्याणी चड्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O.4861(E).— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment in the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India (*hereinafter referred to as the Department*), is administering **Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (DAKSH)Scheme** (*hereinafter referred to as the Scheme*) with an objective to improve the competency levels of target groups comprising of members of SCs, OBCs, EBCs, DNTs and Sanitation Workers including waste pickers. The scheme is being implemented through the National Scheduled Caste Finance Development Corporation (NSFDC), the National Backward Classes Finance Development Corporation (NBCFDC) and the National Safai Karamchari Finance Development Corporation (NSKFDC) (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies)*

And whereas, under the Scheme, stipend and skill development (hereinafter referred to as the benefits) are given to the individuals of the target Groups of SCs, OBCs, EBCs, DNTs and Sanitation Workers including waste pickers (hereinafter referred to as the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :–

(a) Aadhaar Enrolment Identification slip; alongwith any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agencies

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agencies shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. 14017/2/2021-DBT]

KALYANI CHADHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.12 22:12:40 +05'30'